न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 226/2025
जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2025/340

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.वगताराम पुत्र रूपाराम 2.रूगाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी मेघराज की बेरी तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		1.श्रीमति खमादेवी पत्नि गोधुराम 2.चिमाराम गोदपुत्र राणाराम 3.श्रीमति अन्नीदेवी पत्नि किशनाराम 4.श्रीमति मांगीदेवी पत्नि वालाराम 5.रावताराम पुत्र करनाराम 6.जालाराम पुत्र करनाराम 7.टीकमाराम पुत्र खेताराम 8.विजय पुत्र आईदानाराम (पोत्र) नाबालिग जरिए माता कमला 9.कमला पत्नि आईदानाराम जाति जाट निवासी मेहराज की बेरी तहसील पाटोदी जिला बालोतरा 10.जोराराम पुत्र गवरी 11.नारणाराम पुत्र गवरी जाति जाट निवासी केहराराम,पुनिया की आकड़ली बक्सीराम तहसील पाटोदी 12.श्रीमति शान्ति पुत्री गवरी पत्नि राउराम जाति जाट,निवासी जसनाथपुरा परेऊ तहसील गिड़ा जिला बालोतरा 13.तहसीलदार पाटोदी 14.चुतराराम पुत्र रूपाराम 15.बालाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी डऊकियो का तला तहसील पाटोदी जिला बालोतरा 16.सरपंच ग्राम पंचायत डऊकियो का तला

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

2.श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 3,4 अनुपस्थित।

3.श्री वगताराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 14 व 15 उपस्थित।

4.विप्रार्थी संख्या 2 व 5 से 13 एवं 16 एकपक्षीय

:आदेश :

दिनांक– 10.11.2025

1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण 1.वगताराम 2.रूगाराम पिसरान रूपाराम जाति जाट निवासी मेघराज की बेरी तहसील पाटोदी ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 402/65 मौजा मेघराज की बेरी तहसील पाटोदी में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 64 में से 07 मीटर चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा मार्क ए से बी कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।
2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री करणसिंह सोलंकी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 व 3,4 की ओर से वकालतानामा पेश किया गया,साथ ही उक्त विप्रार्थी की तरफ से प्रार्थीगण के आवेदन को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। इसी प्रकार विप्रार्थी संख्या 14 व 15 की ओर से श्री वगताराम चौधरी द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 व 5 से 13 एवं 16 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तहसीलदार पाटोदी से तलब की गई,जो शामिल मिसल है।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

3 तत्पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 402/65 में से होकर मुख्य सड़क मार्ग पहुंच हेतु खसरा संख्या 64 में से आवागमन् का रास्ता उपयोग किया जा रहा हैं,प्रार्थीगण उसका उपयोग–उपभोग करते आ रहे हैं,लेकिन राजस्व रेकर्ड में रास्ता कटान् नहीं होने के कारण विप्रार्थी बरसात के मौसम में रास्ता रोक–टोक की कोशिश करते रहते हैं,जिसके कारण प्रार्थीगण को आवागमन् की भारी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा हैं। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से मुख्य सड़क मार्ग पहुंच तक विप्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 64 में से परिशिष्ट अ में वर्णित अ से ब अनुसार 07 मीटर चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है,क्योंकि उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि तहसीलदार पाटोदी बारहमासी चल रहे कदीमी रास्ता का प्रकरण तैयार कर श्री न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, किन्तु उक्त प्रकरण के विचाराधीन रहते मौके पर आवागमन् के रास्ते को जेसीबी अर्थात् टैक्टरो से दिनांक 20.06.2025 व 21.06.2025 की दरम्यानी रात को तोड़कर अवरोधित किया गया। इसलिए उक्त प्रकरण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण के आवागमन् रास्ता के लिए खसरा संख्या 64 के अलावा अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक उपलब्ध नहीं हैं,क्योंकि यही निकटतम रास्ता हैं,जिसका प्रार्थीगण द्वारा उपयोग किया जा रहा था। श्री न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर आवेदित रास्ता की मौका रिपोर्ट तहसीलदार पाटोदी के तलब की गई। तहसीलदार पाटोदी द्वारा मौका जांच करने से पूर्व दोनो पक्षो को जरिए नोटिस मौके पर उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया तथा दोनो पक्षो की उपस्थिति मे आवेदित रास्ता की जांच स्वंय तहसीलदार पाटोदी द्वारा अपने अधीनस्थ स्टॉफ हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की उपस्थिति में की गई थी और उन द्वारा प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना पाया तथा प्रस्तावित रास्ता मे प्रस्ताव संख्या 01 ही प्रार्थीगण के आवागमन् के लिए निकटतम होना बताया गया हैं,जो कि अंतिम विकल्प हैं। विप्रार्थी येन–केन प्रकार से प्रकरण को लंबित करने की मंशा रखते हैं,क्योंकि उन द्वारा केवलमात्र प्रार्थीगण को आवागमन् रास्ता से वंचित रखना हैं,जबकि प्रार्थीगण को अत्याधिक रास्ता की आवश्यकता हैं,क्योंकि प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आवागमन् का रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार पाटोदी द्वारा प्रस्तावित रास्ता मे से प्रस्ताव संख्या 01 के अनुरूप ही रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

4 विप्रार्थी संख्या 1 व 3,4 अधिवक्ता वक्त प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस के समय न्यायालय हाजा मे उपस्थित होने के उपरांत भी अपनी ओर से बहस नही की गई। विप्रार्थी की ओर जवाब पेश कर रखा है,जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया हैं,जो चलने योग्य नहीं है,क्योंकि प्रार्थीगण की ओर से विप्रार्थी के विरूद्ध आवेदन पेश किया गया हैं,उसमें सभी आवश्यक पक्षकारों को बतौर विप्रार्थी पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया हैं,इस कारण आवश्यक पक्षकारों को अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थीगण ने पद संख्या 04 में नोट अवश्य उल्लेख किया हैं, कि वर्तमान् खेत खसरा संख्या 64 के खातेदार खेताराम पुत्र केहराराम,जेती देवी पत्नि राणाराम,गवरी पुत्री केहराराम का देहांत हो चुका हैं एवं उनके वारिसान् को विप्रार्थी पक्षकार बनाये गये हैं,जबकि प्रार्थीगण द्वारा मृतक खातेदार गवरी पुत्री केहराराम के सभी विधिक वारिसान् को विप्रार्थी पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया हैं। गवरी के केवल दो पुत्र जोराराम व नारणाराम को ही विप्रार्थी पक्षकार बनाया गया हैं,जबकि गवरी के एक पूर्व मृतक पुत्र गोकलराम के विधिक वारिसान् एवं पुत्री शांति को हस्तगत प्रार्थना पत्र में बतौर पक्षकार विप्रार्थी संयोजित नहीं किया गया हैं,इसी प्रकार मृतक जेतीदेवी पत्नि राणाराम के भी किसी भी विधिक वारिसान् को पक्षकार् के रूप में संयोजित नहीं किया हैं,इस कारण प्रार्थीगण का आवेदन पत्र आवश्यक पक्षकार के अभाव के कारण खारिज योग्य हैं। इसी प्रकार खसरा संख्या 402/65 के सभी संयुक्त खातेदारो को बतौर पक्षकार प्रार्थी अथवा विप्रार्थी संयोजित नहीं किया गया हैं। चूंकि उक्त खसरे के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में क्रम संख्या 05 पर सरपंच ग्राम पंचायत हिस्सा 10/877 संस्था के लिए उल्लेखित है,किन्तु प्रार्थीगण ने न्यायालय को अंधेरे में रखते हुए वर्तमान ग्राम पंचायत साजियाली रूपजी राजाबेरी के सरपंच/सचिव को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाकर विप्रार्थी संख्या 16 को सरपंच ग्राम पंचायत डउकियो का तला को पक्षकार बनाया गया है,जो कि हितबद्ध पक्षकार भी नहीं हैं,इस कारण भी प्रार्थीगण का आवेदन खारिज योग्य हैं। इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर बिना विप्रार्थी पक्षकारान् पर

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नोटिस तामिल करवाये आनन्–फानन् में एकतरफा तहसीलदार पाटोदी से बिना विप्रार्थी पक्षकारान् की उपस्थिति के हस्तगत प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई हैं,जो कि विप्रार्थी तहसीलदार पाटोदी द्वारा प्रार्थी पक्ष के दवाव में आकर विप्रार्थीगण को बिना सूचित किए उनकी अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई हैं,जो कि विप्रार्थी के हितों के विपरीत तैयार की गई हैं,जो निरस्त योग्य हैं,क्योंकि प्रार्थीगण धनबल से विप्रार्थी से जबरन उनके खेत से रास्ता लेने पर उतारू हैं। जिससे उनके द्वारा तहसीलदार पाटोदी पर दबाव बनाते हुए विप्रार्थी के खातेदारी खेत में नजदीकतम रास्ते के विकल्प पर गलत तरीके से धोरे एवं विषम भौगोलिक परिस्थिति बताते हुए प्रस्ताव संख्या 02 प्रेषित करवाया हैं,जबकि वास्तव में प्रस्ताव संख्या 02 के आस–पास काफी दूरी तक नजदीकतम रास्ता दिया जा सकता हैं,लेकिन विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से विकल्प संख्या 01 को रास्ते हेतु उचित बताकर रिपोर्ट पेश की गई हैं, जबकि विकल्प संख्या 01 व 02 के अलावा भी विप्रार्थी के खातेदारी खेत से नजदीकतम कटाण रास्ते में आवागमन् क हेतु कई विकल्प उपलब्ध हैं। जबकि विकल्प संख्या 01 में उल्लेखित एवं प्रस्तावित रास्ते के बीच में विप्रार्थी की रहवासी ढाणी बनी हुए हैं एवं पक्का टांका बना हुआ हैं। इस कारण प्रस्ताव संख्या 01 अनुरूप रास्ता स्वीकृत नहीं हो सकता है,इसके अलावा प्रस्ताव संख्या 02 मे तहसीलदार पाटोदी द्वारा भूमि के मौके पर धोरे एवं विषम भौगोलिक स्थिति बतायी गयी हैं,जबकि वास्तव में मौके पर ऐसी कोई स्थिति नहीं हैं। उक्त स्थान के आस–पास काफी भूमि पर बिना धोरे के भी काफी भूमि उपलब्ध हैं। इस आधार पर रास्ता प्रस्तावित किया जा सकता था,लेकिन तहसीलदार पाटोदी द्वारा गलत आधार पर रिपोर्ट तैयार कर प्रस्ताव संख्या 01 अनुरूप रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया है,जो कि मौका स्थिति के विपरीत होने के कारण स्वीकार योग्य हैं। इसके अलावा विकल्प संख्या 01 व 02 के सिवाय भी खसरा संख्या 403/65 के बदिशा उत्तर में ग्रेवल सड़क विधमान हैं,जो प्रार्थीगण को सबसे नजदीकतम आवागमन का रास्ता उपलब्ध होते हुए भी उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए तहसीलदार पाटोदी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की गई हैं। प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्सा 402/65 में कृषि कार्य हेतु, आवागमन के लिए नया रास्ता घोषित करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हैं,किन्तु खसरा संख्या 402/65 सयुंक्त खातेदारी का खसरा हैं,जिसमें प्रार्थीगण का किसी भी स्थान विशेष पर कोई कब्जा काश्त नहीं हैं,उल्टा प्रार्थीगण ने जिस पर स्थान पर रास्ता

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

चाहा है, जो तहसीलदार पाटोदी द्वारा रास्ता प्रस्तावित किया हैं,उस स्थान पर विप्रार्थी संख्या 14 व 15 काबिज व काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण ने बिना आपसी विभाजन करवाए उस स्थान विशेष पर रास्ता लगवाकर बिना विप्रार्थी संख्या 14 व 15 की सहमति के उन्हे कब्जा–काश्त से बेदखल करने की मंशा रखते हैं। जिससे उक्त खसरा संयुक्त खातेदारी होने एवं बिना अन्य खातेदारान् की सहमति से इस खसरे में किसी भी प्रकार का रास्ते लेने हेतु आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं होने से आवेदन पत्र खारिज किया जावें।

5 विप्रार्थी संख्या 14 व 15 अधिवक्ता वक्त प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस के समय न्यायालय हाजा मे उपस्थित होने के उपरांत भी अपनी ओर से बहस नही की गई। उक्त विप्रार्थी की ओर जवाब पेश कर रखा है,जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का आवेदन मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किए जाने के कारण चलने योग्य नहीं हैं,क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा आवेदन–पत्र आवश्यक पक्षकारों होने के उपरांत भी पक्षकार नहीं बनाए जाने के कारण आवेदन–पत्र चलने योग्य नहीं हैं। इसके अलावा सरपंच ग्राम पचांयत साजीयाली रूपजी राजाबेरी,जो कि हितबद्ध पक्षकार होने के उपरांत नहीं बनाया जाकर विप्रार्थी संख्या 16 सरपंच गाम पंचायत डउकियो का तला को पक्षकार बनाया हैं,जो कि हितबद्ध भी नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 402/65 में पहुंच हेतु रास्ता का अनुतोष चाहा गया हैं,जबकि उक्त खसरान् सयुंक्त खातेदारी का हैं,जिसमें विप्रार्थी सयुंक्त खातेदार हैं,जिस स्थान पर रास्ता चाहा गया हैं,उक्त स्थान पर विप्रार्थी का कब्जा हैं। संयुक्त खातेदारी खेत का बिना बंटवाड़ा करवाए रास्ता की मांग नहीं की जा सकती है। मौका–रिपोर्ट विप्रार्थी को बिना सूचित करते हुए उनकी अनुपस्थिति में एकतरफा तैयार की गई है,जो निरस्त योग्य हैं। मौका–रिपोर्ट में प्रस्ताव संख्या 01 स्थान पर विप्रार्थी की रहवासीया ढाणी व पक्के टांके बने हुए हैं तथा प्रस्ताव संख्या 02 स्थान पर कोई धोरे नहीं है। प्रस्ताव संख्या 01 व 02 के अलावा रास्ता हेतु अन्य कई विकल्प हैं,जो तहसीलदार पाटोदी द्वारा जानबूझकर मौका–रिपोर्ट में सकंलन नहीं किए गए है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।

6 हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजों व विप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 64 में से 07 मीटर चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी संख्या 1 व 3,4 एवं 14 व 15 की ओर से जरिए अधिवक्ता जवाब पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। शेष विप्रार्थी बावजूद नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई है। तहसीलदार पाटोदी ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु दो विकल्प सहित रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :–

7 <u>विकल्प A अनुसारः</u>–ग्राम मेगराज की बेरी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 402/65 मे आवागमन हेतु खसरा संख्या 64 मे से 15696 वर्गफीट अर्थात 0.18 बीघा(0.1458 हैक्टयर) भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित की गई है,प्रार्थीगण के खसरा संख्या 402/65 से कटाण रास्ते के बीच खसरा संख्या 64 मे से आज से लगभग 10 से 12 वर्ष पूर्व खसरा संख्या 402/65 तक आपसी मौखिक सहमति से खसरा संख्या 402/65 मे आवागमन हेतु स्वंय/व्यक्तिगत खर्च से ग्रेवल सड़क बनाई थी। जिसे उपस्थित पक्षकारान ने बताया कि वर्तमान मे जून 2025 के द्वितिय पखवाड़े मे मौके पर काबिज काश्तकार ने खुर्द बुर्द(हटाना) करवा दी,परन्तु जिसके अवशेष आज भी मौके पर मौजूद है।

<u>विकल्प B अनुसारः</u>–खसरा संख्या 46 व खसरा संख्या 402/65 के बीच न्यूनतम दूरी की प्रस्तावित भूमि के मौके पर घोरे अर्थात विषम भौगोलिक स्थिति है। खसरा संख्या 46 व 402/65 के बीच न्यूनतम दूरी विवरण 112 फीट X 24 फीट =2693 वर्गफीट अर्थात 03 बिस्वा भूमि कटेगी। प्रार्थीगण के खेत तक आवागमन हेतु उक्त प्रस्ताव संख्या 1 व 2 के अलावा दूसरा अन्य कोई विकल्प नही होना बताया है।

8 हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पाटोदी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 402/65 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थीगण आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध किया गया हैं। इसके विपरीत विप्रार्थी की मुख्य आपति है कि खातेदार गवरी पुत्री केहराराम के सभी विधिक वारिसान् को विप्रार्थी पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया हैं। गवरी के केवल दो पुत्र जोराराम व नारणाराम को ही विप्रार्थी पक्षकार बनाया गया हैं,जबकि गवरी के एक पूर्व मृतक पुत्र गोकलराम के विधिक वारिसान् एवं पुत्री शांति को हस्तगत प्रार्थना पत्र में बतौर पक्षकार विप्रार्थी संयोजित नहीं किया गया हैं,इसी प्रकार मृतक जेतीदेवी पत्नि राणाराम के भी किसी भी विधिक वारिसान् को पक्षकार् के रूप में संयोजित नहीं किया है तथा ग्राम पंचायत साजियाली रूपजी राजाबेरी,जो वर्तमान ग्राम पंचायत लगने के उपरांत भी पक्षकार नही बनाया जाकर पुरानी ग्राम पंचायत डऊकियो का तला को विप्रार्थी संख्या 16 पक्षकार गलत बनाया गया है,इस कारण आवश्यक पक्षकार के अभाव के कारण प्रार्थीगण का आवेदन चलने योग्य नही है। इसके अलावा तहसीलदार पाटोदी द्वारा मौका जांच विप्रार्थीगण को बिना सूचित करते हुए एकपक्षीय रिपोर्ट तैयार की गई है तथा प्रार्थीगण द्वारा सहखातेदारी भूमि का बिना बंटवाड़ा करवाए रास्ता का अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नही होने के

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कारण आवेदन–पत्र खारिज योग्य है,उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है,क्योंकि विप्रार्थी की ओर से मौखिक कथनो के अलावा अन्य ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया,जिससे साबित होता हो कि गवरी व जेतीदेवी के विधिक वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया हो,केवलमात्र मौखिक कथनो के आधार पर राहत प्रदान नही की जा सकती है,उसके लिए दस्तावेजी सबूत पेश किए जाने आवश्यक होते है,जो पेश नही किए गए है। इसके अलावा जहां तक ग्राम पंचायत साजियाली रूपजी राजाबेरी को पक्षकार नही बनाए जाने का प्रश्न है,वे भी स्वीकार योग्य नही है,क्योकि तहसीलदार पाटोदी द्वारा भी विवादित आराजी ग्राम पंचायत डऊकियो का तला मे अवस्थित होना है,जो कि प्रार्थीगण द्वारा आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा ग्राम पंचायत का आवेदित रास्ता मे सहखातेदारी नही होकर प्रार्थीगण की खसरा संख्या 402/65 मे हिस्सा है,इस कारण ग्राम पंचायत के आवेदित रास्ता भूमि मे कोई हक हकूक प्रभावित नही होते है। इसी प्रकार जहां तक आवेदित रास्ता की मौका जांच रिपोर्ट मे विप्रार्थी पक्ष को बिना सूचित किए हुए मौका रिपोर्ट तैयार करने का प्रश्न है,वे भी स्वीकार योग्य नही है,क्योकि मोका रिपोर्ट तेयार करने से पूर्व पक्षकारान को नोटिस जारी किए गए थे,जो कि मोका रिपोर्ट के संलग्न नोटिस प्रति अवलोकन से स्पष्ट है। इसी प्रकार सहखातेदारी भूमि मे बिना बंटवाड़ा करवाए रास्ता की मांग नही की जा सकती है,के बिन्दु से भी न्यायालय हाजा सहमत नही है,क्योकि सहखातेदार द्वारा बंटवाड़ा करवाया जाना भविष्य के गर्भ मे होता है,कि सहखातेदार बंटवाड़ा करवाए या नहीं। इस बिन्दु के आधार पर आवागमन के लिए रास्ता के उपयोग के लिए खातेदार को उसके विधिक हक के लिए वंचित नही रखा जा सकता है,क्योकि काश्तकार के लिए कृषि कार्य करने के आवागमन हेतु कटान रास्ता होना उसकी प्रथम ज़रूरत होती है,इसके अभाव के कारण काश्तकार को बहुत परेशानियो का सामना करना पड़ता है। उक्त परिस्थितियो को मध्यनजर रखते हुए न्यायालय हाजा यह उचित समझता है कि प्रार्थीगण काश्तकार को आवागमन के लिए रास्ता दिया जाना आवश्यक है,ताकि वे अपने कृषि कार्यो के लिए आवागमन का एक निश्चित रास्ता मिल जावे तथा भविष्य मे भी रास्ता को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद भी नही रहे। इसके साथ धारा 251 ए मे भी यही कहीं उल्लेखित नही है कि सहखातेदार रास्ता प्राप्ति के लिए आवेदन पेश नही कर सकता है। इसी प्रकार विप्रार्थी पक्ष द्वारा अपनी जवाब मे आपति उठाए थी,कि प्रस्ताव संख्या 02 मे घोरे इत्यादि नही है,उक्त प्रस्ताव अनुसार ही रास्ता का विकल्प है,जो कि विप्रार्थी पक्ष द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

केवलमात्र काल्पनिक विन्दु जवाव में उठाया गया है,क्योकि यदि प्रस्ताव संख्या 02 मे धोरे एवं विषम भौगोलिक स्थिति नही होती तो,तहसीलदार पाटोदी द्वारा ऐसा रिपोर्ट मे अंकन नही करते,क्योकि भूमिधारक द्वारा मौका स्थिति की वास्तविक स्थिति का रिपोर्ट मे स्पष्ट अंकन किया गया है। ऐसी सूरत मे न्यायालय हाजा को यह उचित प्रतीत होता है कि प्रस्ताव संख्या 02 अनुसार रास्ता दिया जाना विधि सम्मत नही होगा,क्योकि उक्त भूमि घोरे से घिरी हुए है,जो कि रास्ता के लिए उपयुर्वत्त नही हो सकती है। न्यायालय हाजा मौका रिपोर्ट मे दर्शित प्रस्ताव संख्या 01 के अनुरूप ही रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित समझता है,जो कि प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करने के हकदार है। इसके अलावा भूमिधारक तहसीलदार पाटोदी द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रंमाकः–प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.8.2016 के अनुसरण मे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत आवागमन मे आने वाली भूमि खसरा संख्या 64 व 402/65 मे कदीमी रास्ता भूमि को गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृति हेतु आवेदन पेश किया गया था,जो आवेदन संख्या 225/2025 अनवान राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी बनाम खेताराम वगैरा पर दर्ज रजिस्टर हुआ था। उक्त प्रकरण मे हल्का पटवारी व तहसीलदार पाटोदी की मौका फर्द दिनांक 19.6.2025 के अनुसार खसरा संख्या 64 व 402/65 मे शामलाती काश्तकारान की सहमति से सड़क बनी है। वर्तमान मे उक्त ग्रेवल सड़क आम जनता के सार्वजनिक उपयोग मे आने जाने हेतु उपलब्ध है। उक्त खसरान मे मौके पर बनी ग्रेवल सड़क की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता किस्म दर्ज करवाने का उल्लेख है। तत्पश्चात हस्तगत प्रकरण मे पारित आदेश दिनांक 12.9.2025 के अनुसरण मे मूल आवेदन के साथ उक्त प्रकरण को हमफिता किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आवेदित खसरा संख्या 64 मे मौके पर ग्रेवल सड़क बनी रखी थी,जो कि आमजन के लिए आवागमन का कदीमी रास्ता रहा है। इस प्रकार न्यायालय हाजा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट के अवलोकन से पूरी तरह संतुष्ट है कि प्रार्थीगण को आवागमन का रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है,जो कि प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करने के हकदार है। तहसीलदार पाटोदी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को अपनी जोत से होकर मुख्य सड़क मार्ग पंहुच तक खसरा संख्या 64 मे से प्रस्ताव संख्या 01 अनुरूप ही प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है,इस कारण प्रस्ताव संख्या 01 अनुरूप ही

अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

9 उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पाटोदी द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 64 मे से 654 फीट X 24 फीट =15696 वर्गफीट=0.18 बीघा= 0.1458 हैक्टयर की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी.दर 1,45,000/–प्रति हैक्टयर की दुगूनी प्रतिकर हेतु देय बनती है,जिसको प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

<u>आदेश</u> :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम मेगराज की बेरी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 402/65 में पहुंच हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 12 की खातेदारी खसरा संख्या 64 मे से 654 फीट X 24 फीट =15696 वर्गफीट= 0.18 बीघा=0.1458 हैक्टयर की भूमि सार्वजनिक रास्ता हेतु मौका रिपोर्ट मे दर्शित प्रस्ताव संख्या 01 संलग्न नक्शानुसार सी से डी भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पाटोदी को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर राशि की अपनी स्तर पर गणना करते हुए कुल देय राशि की दुगुनी राशि प्रभावित पक्षकारान को नियमानुसार भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(अशोक कुमार) 10/11/2025
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 10.11.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

10/11/2025
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा